

प्रारूप-30

Form-1

For linear projects

Government of India

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 849/XXVI-68(2018-19)

Dated...2.7.18/2019

To WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter no. 11-98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initial and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **0.37 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि०, प्रथम तल, रिलायंस मार्केट जी०एम०एस० रोड, निरंजनपुर, देहरादून for Const. जनपद टिहरी गढ़वाल में लण्डौर-कीथ (सुवाखोली से कीथ) लम्बाई-21.6 कि०मी०, धनौली-मुगलौरी (यमुना पुल से थत्यूड़) 26.3 कि०मी० कुल-47.9 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे-किनारे भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Dhanolti Tehsil.

It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.37 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub. Division level committee (s) and the district level committee (s) are enclosed as annexure 30.1 to annexure 3.4,
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as the required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Date:-

Encl. As above.

Signature
जिला अधिकारी
(...टिहरी गढ़वाल...)
District collector,
Tehri Garhwal

प्रारूप-30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT -TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Tehri Garhwal district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr./Mrs. *Dr. V. Shanmugam*... I.A.S District collector, Tehri Garhwal at New Tehri in which application claiming rights in Block -Dhanolti area measuring **0.37 hect.** for **Construction of** जनपद टिहरी गढ़वाल में लण्डौर-कीथ (सुवाखोली से कीथ) लम्बाई-21.6 कि०मी०, धनौली-मुगलौरी (यमुना पुल से थत्तूड) 26.3 कि०मी० कुल-47.9 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे-किनारे भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...*New Tehri*

Dated:..*27/8/2019*

Dr. V. Shanmugam
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
District Collector-cum-Chairman
District Level Committee

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of जनपद टिहरी गढ़वाल में लण्डौर-कीथ (सुवाखोली से कीथ) लम्बाई-21.6 कि०मी०, धनौल्टी-मुगलौरी (यमुना पुल से थत्तूड) 26.3 कि०मी० कुल-47.9 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे-किनारे भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का लीज के लिए प्रस्ताव scheme regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remark
(a)	He complete process for identification and settlement of right under the FRA had been carried out for the entire 0.37 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee (s), sub Division Level committee(s)	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Plika Parishad have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate construction of aforesaid Water supply is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य,

सचिव, जिला वन विभाग, टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वन अधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

जिला अधिकारी
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में लण्डौर-कीथ (सुवाखोली से कीथ) 21.6 कि०मी०, धनौल्टी-मुगलौरी (यमुना पुल से थत्यूड) 26.3 कि०मी० कुल-47.9 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे-किनारे भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का लीज के लिए प्रस्ताव।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्डीय स्तरीय समिति, धनौल्टी

उपखण्ड नई टिहरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल में लण्डौर-कीथ (सुवाखोली से कीथ) 21.6 कि०मी०, धनौल्टी-मुगलौरी (यमुना पुल से थत्यूड) 26.3 कि०मी० कुल-47.9 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे-किनारे भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु 0.122 है० आरक्षित वन भूमि, 0.248 है० सिविल सोयम भूमि कुल-0.37 है० एवं नाप भूमि 0.109 है० में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि०, प्रथम तल, रिलायंस मार्केट जी०एम०एस० रोड, निरंजनपुर, देहरादून प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-धनौल्टी) की दिनांक-5/08/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रत्ना अग्रवाल उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री रत्ना अग्रवाल उपजिलाधिकारी, अध्यक्ष।
2. श्री सुनील कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी, सदस्य।
3. श्री भोलादास कुमार स०समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य/सचिव।
4. श्री कुंवर सिंह पवार (जी०एम०एस० क्षेत्र पंचायत) बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में लण्डौर-कीथ (सुवाखोली से कीथ) लम्बाई-21.6 कि०मी०, धनौल्टी-मुगलौरी (यमुना पुल से थत्यूड) 26.3 कि०मी० कुल-47.9 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे-किनारे भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु 0.37 है० एवं 0.109 है० नाप भूमि का रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि०, प्रथम तल, रिलायंस मार्केट जी०एम०एस० रोड, निरंजनपुर, देहरादून प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार को दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में नगर पंचायत/ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व सम्मति से उपखण्ड टिहरी परिक्षेत्र में जनपद जनपद टिहरी गढ़वाल में लण्डौर-कीथ (सुवाखोली से कीथ) लम्बाई-21.6 कि०मी०, धनौली-मुगलौरी (यमुना पुल से थत्पूड) 26.3 कि०मी० कुल-47.9 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे-किनारे भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु 0.37 है० वन भूमि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि०, प्रथम तल, रिलायंस मार्केट जी०एम०एस० रोड, निरंजनपुर, देहरादून प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

62
उपजिलाधिकारी,
-धनौली, टिहरी गढ़वाल,
टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

62
उपजिलाधिकारी,
-धनौली, टिहरी गढ़वाल,
उप जिलाधिकारी
धनौली
टिहरी गढ़वाल

प्रारूप-30.2

कार्यालय उपजिलाधिकारी, टिहरी/जाखणीधार धनौली
उपखण्ड स्तरीय समिति, जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल।

आज दिनांक- 5/8/2019 को जनपद टिहरी गढ़वाल में लण्डौर-कीथ (सुवाखोली से कीथ) लम्बाई-21.6 कि०मी०, धनौली-मुगलौरी (यमुना पुल से थत्यूड) 26.3 कि०मी० कुल-47.9 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे-किनारे भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी, ~~जनसाली~~ धनौली की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री/श्रीमती	उपजिलाधिकारी, <u>धनौली</u>	उप जिलाधिकारी धनौली टिहरी गढ़वाल
2	श्री/श्रीमती <u>एन. के. शर्मा</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी,	<u>W</u> उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी, मसूरी वन प्रभाग
3	श्री/श्रीमती <u>मनोहरा कुमारी</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	<u>ASWO</u>
4	श्री/श्रीमती <u>कुवर सिंह पवार</u>	बी०डी०सी० क्षेत्र पंचायत सदस्य/प्रमुख	<u>Gumma</u> (कुवर सिंह पवार) प्रमुख क्षेत्र पंचायत जोनपुर जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में लण्डौर-कीथ (सुवाखोली से कीथ) 21.6 कि०मी०, धनौल्टी-मुगलौरी (यमुना पुल से थत्यूड) 26.3 कि०मी० कुल-47.9 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे-किनारे भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का लीज के लिए प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

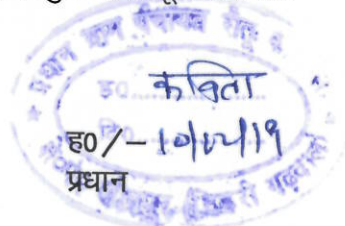
ग्राम पंचायत का नाम- शेठ की बेली
तहसील- धनौल्टी, जिला-टिहरी गढ़वाल।

जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद जनपद टिहरी गढ़वाल में लण्डौर-कीथ (सुवाखोली से कीथ) लम्बाई-21.6 कि०मी०, धनौल्टी-मुगलौरी (यमुना पुल से थत्यूड) 26.3 कि०मी० कुल-47.9 कि०मी० मोटर मार्ग के किनारे-किनारे भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु 0.122 है० आरक्षित वन भूमि 0.248 है० सिविल सोयम भूमि कुल-0.37 है० एवं नाप भूमि 0.109 है० का रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि०, प्रथम तल, रिलायंस मार्केट, जी०एम०एस० रोड, निरंजनपुर, देहरादून/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत शेठ की बेली द्वारा दिनांक- 10/02/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर नगर पंचायत/ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा/ग्राम पंचायत शेठ की बेली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि०, प्रथम तल, रिलायंस मार्केट, जी०एम०एस० रोड, निरंजनपुर, देहरादून प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र-30.4

दिनांक.....10/02/2019..... को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम सभाग्राम पंचायत..... शेर की बेनी

क्रमांक	ग्राम में उपस्थिति वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम/पिता का नाम	हस्ताक्षर
	सुरदा सिंह रावत	(सुरदा)
	कुवर सिंह पन्ना (प्रभु ख नौनपुर)	(कुवर सिंह)
	रंजीता	(रंजीता)
	रंजीता	(रंजीता)
	रंजीता	(रंजीता)
	प्रभोद सिंह	(प्रभोद)
	रंजिता रावत	(रंजिता)
	प्रकाश	(प्रकाश)
	शीता रावत	(शीता)
	दिलवीर सिंह	(दिलवीर)
	विपिन	(विपिन)
	जयपाल	(जयपाल)
	रंजिता सिंह	(रंजिता)
	इंदर सिंह	(इंदर)
	कलवीर सिंह	(कलवीर)
	नंदू सिंह	(नंदू)
	रंजिता सिंह	(रंजिता)
	रंजिता सिंह	(रंजिता)
	रंजिता सिंह	(रंजिता)
	रंजिता सिंह	(रंजिता)
	आशीष सिंह	(आशीष)
		AS